खास खबरें

17 वर्षीय किशोरी को ले जाने पर मामला दर्ज

भोपाल। अशोका गार्डन थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 414/26 में धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ 17 वर्षीय को बहला-फुसलाकर ले जाने का प्रकरण कायम कर जांच शुरू की गई।

तेज रफ्तार कार चालक पर केस दर्ज

भोपाल। गोविंदपुरा थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 654/26 में धारा 281, 125-ए बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी मनीष भिजारे की शिकायत पर कार क्रमांक एमपी-04-सीजे-0588 के चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का केस दर्ज किया गया।

स्कूटी और गाय को टक्कर मारने वाला चालक नामजद

भोपाल। कटारा हिल्स थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 220/26 में धारा 281, 125-ए, 325 बीएनएस के तहत कार एमपी-04-वाईजी-7385 के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेडिकल कॉलेज के सामने हुई दुर्घटना में स्कूटी और गाय को टक्कर मारने का आरोप है।

लोडिंग वाहन चालक पर लापरवाही का मामला

कोहेफिजा थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 538/26 में धारा 281 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी असीम खान की शिकायत पर लोडिंग वाहन एमपी-04-एलएम-4515 के चालक पर वीआईपी रोड करबला के पास दुर्घटना करने का आरोप है।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते युवक पर कार्रवाई

टीटी नगर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 666/26 में धारा 36-बी आबकारी अधिनियम के तहत आकाश शिवहरे के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने का मामला दर्ज किया है।

घर में गिरने से घायल व्यक्ति की मौत

कमला नगर थाना पुलिस ने 44 वर्षीय राजकुमार सेन की उपचार के दौरान हुई मौत पर मर्ग कायम किया है। घर में गिरने से घायल होने के बाद एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई।

इलाज के दौरान व्यक्ति ने तोड़ा दम

बागसेवनिया थाना पुलिस ने 48 वर्षीय सुनील नारनवने की मौत पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। पुलिस के अनुसार उल्टी होने के बाद बेहोश हुए व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई।

17 वर्षीय किशोरी की गुमशुदगी दर्ज

अशोका गार्डन थाना पुलिस ने 17 वर्षीय पलक सेन के बिना बताए घर से चले जाने पर गुम इंसान कायम किया है। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

रातीबड़ से युवक लापता

भोपाल। रातीबड़ थाना पुलिस ने अनमोल सोनी के लापता होने पर गुम इंसान दर्ज किया है। फरियादी ने बताया कि उनका पति बिना बताए घर से चला गया है।

एम्स में फिर रिश्वतखोरी का खुलासा

नर्सिंग अधिकारी ने सर्जिकल सामान के नाम पर मरीज के बेटे से मांगी 16,500 की रिश्वत

12 हजार पर हुआ सौदा, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः एम्स में एक बार फिर रिश्वत का बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआई ने नर्सिंग अधिकारी गिरधारी चौधरी के खिलाफ मरीज के परिजन से सर्जिकल उपकरणों के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है।

आरोप है कि शाजापुर जिले के कालापीपल निवासी शांताबाई के इलाज के दौरान उनके बेटे विनोद मेवाड़ा से आरोपी नर्सिंग अधिकारी ने सर्जिकल सामग्री उपलब्ध कराने के बदले 16,500 रुपये रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी बाद में 12,000 रुपये पर राजी हो गया और चेतावनी दी कि पैसे नहीं दिए तो ऑपरेशन नहीं होगा।

विनोद मेवाड़ा ने 23 जुलाई को सीबीआई भोपाल में शिकायत दर्ज कराई। सत्यापन के बाद एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। गौरतलब है कि एम्स भोपाल में रिश्वत मांगने पर सीबीआई की कार्रवाई का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 2021 में तत्कालीन उप निदेशक (प्रशासन) धीरेंद्र सिंह को जन औषधि केंद्र के संचालक से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मरीजों के इलाज में बाधा डालने और रिश्वत मांगने जैसे गंभीर आरोपों के बीच एम्स भोपाल में भ्रष्टाचार के इस नए मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीआई की जांच जारी है।

पीपुल्स मॉल के पास सड़क हादसा

भोपाल। निशातपुरा थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 675/26 में धारा 281, 296-ए, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत जेरी पाल व अंसू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरियादी पीयूष सविता ने लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने की शिकायत दर्ज कराई।

जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में 43 आबकारी अधिकारियों का दीक्षांत समारोह संपन्न

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः मध्यप्रदेश पुलिस की प्रशिक्षण संस्था जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी (जेएनपीए), सागर में जिला आबकारी अधिकारियों एवं आबकारी उप निरीक्षकों के द्वितीय बैच के 43 प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों का दीक्षांत समारोह शनिवार को संपन्न हुआ।

दो माह का आधारभूत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सभी प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रसेवा, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित के प्रति निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करने की शपथ ली।

18 मई से 23 जुलाई 2026 तक चले प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को आबकारी अधिनियम, विधिक प्रावधान, अन्वेषण, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, शारीरिक दक्षता, फील्ड क्राफ्ट, व्यवहारिक पुलिसिंग और व्यावसायिक कौशल से संबंधित विषयों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को अपने दायित्वों का प्रभावी और उत्तरदायी ढंग से निर्वहन करने के लिए तैयार करना रहा।

दीक्षांत समारोह पुलिस अधीक्षक एवं अकादमी की प्राचार्य प्रतिमा पटेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत आकर्षक मार्च-पास्ट से हुई, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों ने अनुशासन और दक्षता का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी लेने के बाद प्रशिक्षुओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रशिक्षण के दौरान शैक्षणिक, शारीरिक, फायरिंग, परेड और अन्य प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति-पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में आबकारी, पुलिस और जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अकादमी के अधिकारी-कर्मचारी तथा प्रशिक्षणार्थियों के परिजन भी उपस्थित रहे।

समारोह के अंत में अतिथियों और परिजनों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। दीक्षांत परेड के साथ प्रशिक्षु अधिकारियों ने नई जिम्मेदारियों का संकल्प लिया।

स्वच्छता नियम तोड़ने वालों पर निगम की कार्रवाई

नप्र, भोपालः नगर निगम ने स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए शनिवार को 68 मामलों में कार्रवाई कर 9,600 रुपये का स्पॉट फाइन वसूला। कार्रवाई गंदगी फैलाने, सी एंड डी वेस्ट सड़क पर डालने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने तथा सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने वालों के खिलाफ की गई।

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न जोनों में विशेष अभियान चलाया। इसके तहत जोन-13 में 19 मामलों में 1,900 रुपये, जोन-14 में 25 मामलों में 3,500 रुपये, जोन-15 में 14 मामलों में 3,200 रुपये तथा जोन-16 में 10 मामलों में 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर निगम ने नागरिकों से स्वच्छता नियमों का पालन करने और प्लास्टिक व कचरा फैलाने से बचने की अपील करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

पीओसीएसओ मामलों में संवेदनशीलता सबसे बड़ी जिम्मेदारीः एसपी पाण्डेय

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल ग्रामीण पुलिस और आवाज़ संस्था के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों एवं ऊर्जा डेस्क प्रभारियों के लिए पॉक्सो अधिनियम पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक भोपाल (ग्रामीण) पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। लैंगिक शोषण के शिकार बच्चों को केवल कानूनी सहायता ही नहीं, बल्कि उनके पुनर्वास और समग्र संरक्षण पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

एसपी पाण्डेय ने कहा कि यदि कानून को पीड़ित के दृष्टिकोण से लागू किया जाए तो न्याय और सहायता दोनों अधिक प्रभावी बनते हैं। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सोनकर भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक एवं आवाज़ संस्था के निदेशक प्रशांत दुबे ने बताया कि पॉक्सो प्रकरणों में पीड़ित बच्चों को निर्धारित समय-सीमा में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी है, ताकि पुनर्वास की प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके। उन्होंने सपोर्ट पर्सन की भूमिका, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहयोग सहित पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।

प्रशिक्षण के दौरान एसपी पाण्डेय ने आवाज़ संस्था द्वारा विकसित पॉक्सो आधारित 'सांप-सीढ़ी' जागरूकता मॉडल का अवलोकन किया और इसे बच्चों व आमजन को कानून की जानकारी सरल और रोचक तरीके से देने का प्रभावी माध्यम बताते हुए सराहना की।

कार्यक्रम में एसडीओपी मंजू चौहान, एसडीओपी वैशाली सिंह कराहलिया, जिले के सभी सातों थानों के थाना प्रभारी, ऊर्जा डेस्क प्रभारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सहित लगभग 45 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। संस्था की ओर से रोली शिवहरे, नितेश व्यास, कासिफा मंसूरी और पवनरेखा बिसेन ने भी लैंगिक शोषण से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास और सहायता तंत्र पर अपने अनुभव साझा किए।

बिना ओटीपी खाते से उड़ाए 2.91 लाख, शिक्षिका बनी साइबर ठगी की शिकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका अपनाते हुए एक शिक्षिका के बैंक खाते से 2.91 लाख रुपये पार कर दिए। हैरानी की बात यह है कि न तो पीड़िता के मोबाइल पर कोई कॉल आया, न किसी ने ओटीपी मांगा और न ही किसी फर्जी लिंक पर क्लिक कराया गया। बैंक से ट्रांजेक्शन के मैसेज मिलने पर उन्हें धोखाधड़ी का पता चला।

पीड़िता ने तत्काल बैंक को सूचना देकर खाता ब्लॉक कराया और साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिक्षिका का कहना है कि उन्होंने किसी को बैंक संबंधी जानकारी साझा नहीं की, न मोबाइल खोया और न ही किसी संदिग्ध लिंक का उपयोग किया। इसके बावजूद खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 2.91 लाख रुपये निकाल लिए गए। प्रारंभिक जांच में साइबर विशेषज्ञ इस मामले को सिम स्वैप, डेटा लीक या बैंकिंग क्रेडेंशियल्स के दुरुपयोग से जोड़कर देख रहे हैं। पुलिस बैंक से ट्रांजेक्शन का पूरा विवरण, सर्वर लॉग, आईपी एड्रेस और जिन खातों में राशि भेजी गई उनकी जानकारी जुटा रही है। साइबर पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी।

राजावीर मंदिर में झूलेलाल का तीन दिवसीय अखंड पाठ एक अगस्त से

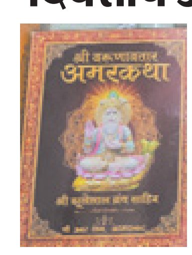

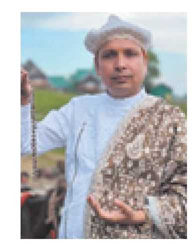

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः सिंधी समाज भगवान श्री झूलेलाल का चालीहा महोत्सव मना रहा है। 40 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजित किए जा रहे हैं।

भोपाल के इसरानी मार्केट स्थित राजावीर विक्रमादित्य मंदिर में भी महोत्सव मनाया जा रहा है। यहां 1 अगस्त को भगवान झूलेलाल का तीन दिवसीय श्री झूलेलाल ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ आयोजित किया जा रहा है, जिसमे श्रद्धालु बिना रुके 72 घंटे तक लगातार पाठ कर देश में शांति और समृद्धि की प्रार्थना करेंगे.

अखंड ग्रंथ पाठ और विशेष धार्मिक अनुष्ठान : इस विषय पर समिति के अध्यक्ष लखु आनन्दानी ने बताया कि चक्कर भाटा के संत सतगुरु साई लालदास साहिब एवं अहमदाबाद के साई जगदीश लाल जी के आशीर्वाद से चालीहा महोत्सव के 17वें दिन 1 अगस्त शनिवार को शाम 5 बजे राजावीर मंदिर परिसर में तीन दिवसीय श्री वरुण अवतार अमरकथा, श्री झूलेलाल भगवान का अखंड ग्रंथ पाठ साहिब का आरंभ किया जा रहा है, जो गुजरात के अहमदाबाद स्थित श्री अमर धाम आश्रम से प्रारंभ होकर पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है. इस ग्रंथ साहिब का समापन सोमवार 3 अगस्त को संत श्री लाल दास साई जी के सानिध्य में भगवान झूलेलाल की महाआरती, भजन कीर्तन, सत्संग, संतों की मुखवाणी से प्रवचन, अखो, पल्लव साहिब, अरदास एवं भंडारे के साथ इस विशेष आयोजन का समापन होगा।

पौधारोपण विवाद में एससी-एसटी एक्ट का केस

भोपाल। ऐशबाग थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 307/26 में धारा 296-बी, 115(2), 351(3) बीएनएस एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी राजेश करोसिया की शिकायत पर खालिद के खिलाफ मारपीट, धमकी और जातिसूचक शब्द कहने का आरोप है।

महिला से मारपीट और धमकी का आरोप

भोपाल। ऐशबाग थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 308/26 में धारा 296-बी, 115(2), 351(3) बीएनएस के तहत मोहम्मद उबेद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरियादी जाहिदा की शिकायत पर गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का आरोप है।

20 वर्षीय युवक की तलाश शुरूः कोलार थाना पुलिस ने राकेश भार्गव की शिकायत पर 20 वर्षीय गोलू उर्फ शिवकांत पाठक के लापता होने का मामला दर्ज किया है। युवक के बिना बताए घर से जाने पर पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

40 वर्षीय व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट : कोलार थाना पुलिस ने पानकुमार अहिरवार की शिकायत पर 40 वर्षीय अमरजीत के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस गुमशुदा की तलाश में जुटी है।

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

NOTICE INVITING e-TENDER

Second Call

Tenders are invited by the High Court of Madhya Pradesh from experienced and reputed vendors/firms/dealers/Original Equipment Manufacture for Rate Contract for and supply of the Computer Hardware Items/Articles at High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur. The last date of online tender submission is 19th August, 2026 before 6:00 P.M. (mandatory). The hardcopy of sealed tender complete in all respect addressed to "Registrar General, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur" must be submitted before by 20th August, 2026 by 5:00 P.M. (mandatory). The technical bid of the tender shall be opened online on 21st August, 2026 at 11:00 A.M. The detailed tender document is available in the official website of the High Court of Madhya Pradesh www.mphc.gov.in and Government e-procurement portal www.mptenders.gov.in

G-16146/26

Sd/-
REGISTRAR GENERAL

आम सूचना

(नाम सुधार करने बाबत)

मेरे पक्षकार मोहम्मद रिज़वान आत्मज स्व. श्री गुलाम मोहम्मद नूर, निवासी ए-34, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोहे-ए-फिजा, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल 462001 की ओर से सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार का नाम पासपोर्ट में रिज़वान मोहम्मद नूर / RIZWAN MOHAMMED NOOR लिखा गया है जबकि मेरे पक्षकार का वास्तविक सही नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड में मेरा नाम मोहम्मद रिज़वान आत्मज स्व. श्री गुलाम मोहम्मद नूर/MOHD RIZWAN S/O LATE SHRI GULAM MOHD NOOR अंकित है जो कि सही है। अब मुझे मोहम्मद रिज़वान/MOHD RIZWAN के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

भवदीय

मोहम्मद रिज़वान आत्मज स्व.श्री गुलाम मोहम्मद नूर
द्वारा अधिवक्ता, महेश कुमार साहू
231, लाहोटी चेम्बर, स्मार्ट पार्किंग के पास, जोन-1 एम.पी. नगर, भोपाल मो.नं. 9827300880

1080

कार्यालय थाना प्रभारी थाना हनुमानगंज भोपाल

क्रमांक थाप्र./हनु./मर्ग क्रं./19/26 दिनाँक 11.07.2026

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि थाना हनुमानगंज पर मर्ग क्र. 19/2026 धारा 194 बीएनएसएस. कायम कर जांच मे लिया गया जिसमे मृतक अज्ञात पुरुष उम्र 55 साल करीबन हमीदिया अस्पताल भोपाल दिनाक 03/07/26 के 20.45 बजे जिसकी दौराने ईलाज मृत्यु हो गई है जिसके बारिसानो की तलाश तलाश की जा रही है मृतक अज्ञात पुरुष के बारिसानो के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो थाना हनुमानगंज भोपाल के दूरभाष क्रं. 0755-2677310 व जांचकर्ता व जांचकर्ता सउनि बब्बू सिंह मो.न.-9425679703. सूचित करे।

जी-16165/26

थाना प्रभारी
थाना हनुमानगंज जिला भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड़ नर्मदापुरम

दूरभाष क्रमांक 07574-253119

Email Address-eephedhos@mp.nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आनलाईन वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की गई हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं ऑनलाईन प्रस्तुत किये जायेंगे। ऑनलाईन वित्तीय ऑफर दिनांक 04.08.2026 शाम 17.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाईट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

निविदा सूचना क्रमांक	ई-टेण्डर क्रमांक	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (PAC) (रू. में)	धरोहर राशि (e-EMD) (रू. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू. में) (रू. में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	रिमार्क
05/26-27 Date 20-07-2026	2026_PHED_522971_1	Drilling of 350/150mm Dia Gravel Packed Tube well [75 mtr Deep] Including Installation of Handpums -10 Nos. various in Villages/Habitations of All District Narmadapuram.	1195000/-	23900/-	2000/-	45 दिवस (वर्षाकाल रहित)	-
06/26-27 Date 20-07-2026	2026_PHED_523107_1	Drilling of 350/150mm Dia Gravel Packed Tube well [75 mtr Deep] 10 Including Installation of Handpums 10 Nos. in various Villages/Habitations of All District Narmadapuram.	1195000/-	23900/-	2000/-	45 दिवस (वर्षाकाल रहित)	-
07/26-27 Date 20-07-2026	2026_PHED_523110_1	Drilling of 350/150mm Dia Gravel Packed Tube well [75 mtr Deep] Including Installation of Handpums-10 Nos. in various Villages/ Habitations of All District Narmadapuram.	1195000/-	23900/-	2000/-	45 दिवस (वर्षाकाल रहित)	-
08/26-27 Date 20-07-2026	2026_PHED_523122_1	Drilling of 350/150mm Dia Gravel Packed Tube well [75 mtr Deep] Including Installation of Handpums 10 Nos. in various Villages/ Habitations of All District Narmadapuram.	1195000/-	23900/-	2000/-	45 दिवस (वर्षाकाल रहित)	-
09/26-27 Date 20-07-2026	2026_PHED_523127_1	Drilling of 350/150 mm dia Combination Tube Wells (350/150mm dia graval packed + 150 mm dia ordinary) 120 m deep Including Installation of Handpums 10 Nos. in various Villages/Habitations of All District Narmadapuram.	1308000/-	26160/-	2000/-	45 दिवस (वर्षाकाल रहित)	-

जी-16191/26

कार्यपालन यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड नर्मदापुरम

!! जाहिर सूचना !!

फ्लैट प्रकोष्ठ क्रं.-ई.डब्लू.एस.302,निखिल नेसल्स ग्राम-जाटखेड़ी भोपाल (म.प्र.)

मै अपने पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ, कि मेरे पक्षकार ने विक्रेता श्री ओमप्रकाश तेलंगे आत्मज श्री मारोती तेलंगे आयु वयस्क निवासी म.नं.-एच.एन.जे.-234, दाना पानी रोड, जनता कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य व मालिकाना हक की एक किता आवासीय फ्लैट प्रकोष्ठ क्रमांक-ई.डब्लू.एस-302, पर निर्मित बहुमंजिला भवन "निखिल नेसल्स" के तृतीय तल पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 309.62 वर्गफिट अर्थात 28.775 वर्गमीटर है, जो कि स्थित ग्राम-जाटखेड़ी नहर के दूसरी तरफ जाटखेड़ी की अन्य कॉलोनी (मुख्य मार्ग से अंदर) नगर निगम सीमा के अंदर, वार्ड नं.-53, पटवारी हल्का नं.-42/52, तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) है। जिसकी चतुर्थ दिशाए-दिशा पूर्व में-प्रकोष्ठ क्रमांक-ई.डब्लू.एस.-301, दिशा पश्चिम में-प्रकोष्ठ क्रमांक-ई.डब्लू.एस.-303, दिशा उत्तर में-एम.ओ.एस.के पश्चात कॉलोनी रोड, दिशा दक्षिण में-कारीडोर है, जिसे मेरे पक्षकार ने क्रय करने हेतु टोकन राशि अदा कर विक्रय अनुबंध कर दिया है। उक्त वर्णित संपत्ति/फ्लैट के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, हाउसिंग फाइनेंस संस्था, फर्म, शासकीय व गैर शासकीय कार्यालय को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो या उक्त संपत्ति/फ्लैट, कही, अनुबंध विक्रय पत्र, दान, बंधक, गिरबी, वसीयतनामा, पॉवर ऑफ अटार्नी, हस्तांतरण, अंतरण इत्यादि हो तो वह व्यक्ति संस्था, बैंक, शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय आदि की जाहिर सूचना प्रकाशन के **07 दिवस** के अंदर मेरे कार्यालय में मय मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें, यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करता है तो मेरे पक्षकार द्वारा उक्त वर्णित संपत्ति/फ्लैट का विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करा लेंगे, ऐसी स्थिति में कोई भी आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी।

संजय कुमार सेन अधिवक्ता सीनियर मेंबर (DBA)
भूपेन्द्र सेन/सुष्मिता सेन एडवोकेट
कार्या.214-215,2nd फ्लोर,DBA लायर्स चेंबर जिला न्यायालय के पीछे,अरेरा हिल्स,भोपाल
9827381331,7509366230

1079

जाहिर सूचना

भूखण क्रमांक-49एफ/बी दक्षिणी भाग
'राजवेद गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल ग्राम नयापुरा'

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित शाखा कोलार, भोपाल द्वारा प्रदत्त किये जा रहे ऋणपेटे आवेदक श्री सूर्य प्रसाद लुइटेल पुत्र स्व. श्री दामोदर लुइटेल निवासी म.नं. डी-20 अपेक्स बैंक कॉलोनी, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा ऋणपेटे क्रय की जा रही अनुबंधित सम्पत्ति एक किता प्लाट नं. 49एफ/बी दक्षिणी भाग जो कि खसरा नं. 60/1, 61/2/2/2/2, 7, 9, 11/1/1, 10/1, 68/1/1/2, 10, 73/1/2, 73/1/1 का अशंभाग होकर राजवेद गृहनिर्माण सहकारी समिति मर्यादित ग्राम नयापुरा कोलार नगर पालिका निगम सीमा के अंदर तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है। जिसकी चर्तुसीमायें निम्नानुसार है पूर्व में प्लाट नं. 42, पश्चिम में रोड 30 फिट चौडा, उत्तर में प्लाट नं. 49 एफ अर्ध उत्तरी भाग, दक्षिण में प्लाट नं.-50, जिसका क्षेत्रफल 15 फिट गुणा 50 फिट कुलयोग 750 वर्गफिट अर्थात् 69.70 वर्गमीटर है जिसे क्रय किया जाकर ऋणपेटे साम्यिक बंधक किये जाने हेतु मूल विक्रयपत्र अनुबंध पत्र अन्य दस्तावेजों के साथ बैंक शाखा में प्रस्तुत किया है। यदि उपरोक्त बंधक की जा रही सम्पत्ति पर किसी भी व्यक्ति, शासकीय, अशासकीय वित्तीय संस्था, बैंक, सोसायटी एवं अन्य का कोई हित, स्वत्व संबंध या किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन हो, तो वह सूचना प्रकाशन दिनांक से सात दिवस की अवधि में स्पष्ट प्रमाण सहित कार्यालयीन समय में मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा समयावधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ती, दावा, स्वत्व या अधिकार मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगा तथा मेरा पक्षकार उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को ऋणपेटे साम्यिक बंधक करने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

योगेश पवार, अधिवक्ता
245 ओल्ड अशोका गार्डन रायसेन रोड भोपाल
सम्पर्क-9893276073, 9425027947

1078

न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल

(7 नंबर बस स्टाप शिवाजी नगर भोपाल)
प्रकरण क्रमांक 438/अ-6/2026-27

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। आवेदक श्रीमती स्मृति सिंह पत्नी धीरेन्द्र सिंह निवासी खजूरीकला तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा ग्राम खजूरीकलां तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक खसरा नं. 145/4 रकबा नं. 1000 वर्गफिट भूमि का नामांतरण किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक से दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक. 24/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदीरदार
नजूल एम.पी. नगर वृत्त भोपाल

1077

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल

प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रॉपर्टी आई. डी. नं. 0100080089,आवेदन क्रमांक-12292, आवेदन दिनांक-06/06/2026
क्रमांक 2310/राजस्व/भौविप्रा/26 भोपाल
दिनांक: 24/07/2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की विद्या नगर योजना भूखण्ड क्रमांक 89 सेक्टर सी 1. श्री विपिन वर्षने आ. श्री डोरीलाल वर्षने एवं 2. श्रीमती दिप्ती वैश्य पत्नी श्री विपिन वर्षने के संयुक्त नाम पर आवंटित संयुक्त आवंटी में से श्रीमती दिप्ती वैश्य का स्वर्गवास दिनांक 04/01/2026 को हो जाने के कारण आवंटी के वारिसगण 1. श्री विपिन वर्षने आ. श्री डोरीलाल वर्षने 2. श्री श्रेय वर्षने आ. श्री विपिन वर्षने द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड तथा वांछित प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड संयुक्त नाम पर नामांतरण चाहा गया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/ दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

1076

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, पंडित दीन दयाल नगर, सीहोर (म.प्र.) में स्थित भवन क्रमांक एम.आई.जी.-82 मण्डल द्वारा श्री चरनजीत सिंह रतन आत्मज श्री प्रताप सिंह जी रतन के नाम पर आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 08/03/1994 को पंजीकृत है। श्री चरनजीत सिंह रतन आत्मज श्री प्रताप सिंह जी रतन द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री पुरुषोत्तम कुमार श्रीवास्तव आत्मज स्व. श्री श्यामशरण जी श्रीवास्तव को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है जिसका विक्रय विलेख का पंजीयन पंजीयक कार्यालय में दिनांक 9/11/2005 को पंजीकृत है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति श्री पुरूषोत्तम कुमार श्रीवास्तव आत्मज स्व. श्री श्यामशरण जी श्रीवास्तव के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति का हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

1075